P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE-IX* December- 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण

अंकिता शर्मा
शोध छात्रा,
इतिहास अध्ययन शाला विभाग,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.,
रायपुर ,छ.ग.

आभा रूपेन्द्र पाल
विभागाध्यक्ष,
इतिहास अध्ययन शाला विभाग,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.,
रायपुर,छ.ग.

सारांश

राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के काल (मध्यकाल) में लोगो को अकाल से राहत प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई थी जो बाद में आधुनिक भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेंजो द्वारा प्रारम्भ की गई तथा भारत की आजादी के बाद भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण यह व्यवस्था पुनः प्रारम्भ हुई किंतु इस समय तक महिलाओं को केन्द्र में रखकर उनकी स्थिति को सुधारने हेतु कोई महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं की गयी थी और न ही पुरानी व्यवस्था या योजना में महिलाओं हेतु कोई विशेष परिवर्तन किया गया था परंतु अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के पारित होने से पूर्व ही छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा बिल 2012 बनाकर उसे लागू कर दिया गया हैं। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड बनाये जाने का प्रावधान किया गया हैं जिसके द्वारा महिलाओं को अनाज इत्यादि प्रदान किया जाएगा जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्य शब्द : आधा आसमान, हक का अनाज, कारगर योजना, संकुचित दशा, अंगूठे का निशान, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास, घर की वस्तु, राशनिंग व्यवस्था, बराबरी का अधिकार, भीषण अभाव, आर्थिक वास्तविकता।

प्रस्तावना

देश के विकास हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक हैं। महिला सशक्तिकरण के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक हैं कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत हों। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में देश को जगाने हेतु महिलाओं का जागना आवश्यक हैं एक बार वे अपनी कदम बढ़ाती हैं तो परिवार आगे बढ़ता हैं, गांव आगे बढ़ता हैं और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता हैं। इस हेतु आज महिलाओं को आगे लाना आवश्यक हैं। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना महिलाओं को उनके अधिकार देने और उन्हें आगे लाने का एक प्रयास हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को देवी मानकर पूजा जाता रहा हैं, उसे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। मध्यकाल के आते–आते महिलाओं के अधिकारों में कमी आई किंतु फिर भी बाढ़, अकाल व सूखा के समय लोगों की भोजन की समस्या को हल करने हेतु उन्हें राशन व्यवस्था के द्वारा राहत पहुँचाई गई परंतु ये व्यवस्था मात्र महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु नहीं थी। बाद में आधुनिक भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय तथा आजादी के बाद कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण राशनिंग व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला केन्द्रित राशनिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं। देश की महिलाओं व बच्चों का शारीरिक विकास हमारे देश के भविष्य हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। विकास का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना हैं जिससे वे अपने बच्चों का भविष्य बनाने के साथ ही देश का भविष्य सुनिश्चित कर सके। विकास की मुख्य धारा से महिलाओं को जोड़ने हेतु यद्यपि कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई तथापि महिला केन्द्रित यह राशनिंग व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार का महिलाओं के आगे लाने और आर्थिक दुविधा से मुक्ति दिलाने का एक सराहनीय पहल हैं।

विषय का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की महिला केन्द्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का अध्ययन व विश्लेषण करते हुए यह ज्ञात करना कि क्या पहले भारत में महिला केन्द्रित कोई राशनिंग व्यवस्था थी। महिलाओं को इस योजना से क्या–क्या लाभ हो रहे है। उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। क्या यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण

हैं। क्या इस योजना द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तथा यह ज्ञात करना कि यह योजना आर्थिक व सामाजिक विषमता तथा लिंगभेद मिटाने में किस हद तक सफल रही।

किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी हैं कि हम जानें कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी हैं, उनको क्या–क्या अधिकार प्राप्त हुए है और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्थिति क्या हैं जिन्होने आधा आसमान सिर पर उठा रखा हैं उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंच हैं। अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के तमाम प्रयास किये गये हैं, उनके सशक्तिकरण की कई कोशिशें की गई हैं और काफी हद तक ये कोशिशें कामयाब भी हुई हैं।[1]

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा बिल 2012 लाया गया हैं जिसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं को इस क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देते हुए राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर किए गये हैं। जिससे महिलाएं अब राशन की दुकानों में स्वयं जाकर अपने हक का अनाज प्राप्त कर सकेगी।

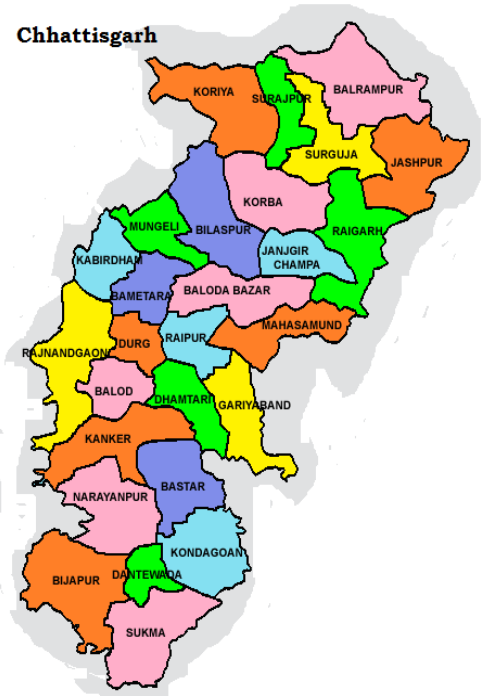

यदि हम राशनिंग व्यवस्था का इतिहास देंखे तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के काल (मध्य काल) में राशन व्यवस्था की जानकारी मिलती हैं। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। यह पद्धति अलाउद्दीन की नई सूझ थी।[2] परंतु इस समय तक ऐसी कोई योजना महिला केन्द्रित नहीं रही।

आधुनिक भारत में अनाज के सार्वजनिक वितरण की यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा लाई गई। इस समय राशन कार्डधारकों को एक नियत मूल्य पर राशन (चावल व गेहूं) उपलब्ध कराया जाता था। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1939 में बम्बई से प्रारंभ हुई और बाद में अन्य क्षेत्रो में और शहरों में फैली। 1943 में विश्व युद्ध के बाद भारत के समान अनेक देशो से यह व्यवस्था हटा देने का निर्णय लिया गया फिर भी भारत की आजादी के बाद 1950 में भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई। किंतु इस समय तक भी इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई विशेष कारगर योजना का निर्माण नहीं किया जा सका था।[3]

दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण को न केवल चालू रखा जाएगा वरन् इसका पुनः परीक्षण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए जाएंगे साथ ही अन्य जरूरी वस्तुएं जैसे शक्कर, खाद्य तेल व मिट्टी का तेल को इसमें शामिल किया गया।[4]

1960 के दशक में खाद्यान के भीषण अभाव के कारण भारत को अपनी विदेश नीति से समझौता करते हुए अमरीका से PL-480 के तहत गेहूं का आयात करना पड़ा था।[5] आज देश PL-480 के युग से बाहर निकलकर आर्थिक वास्तविकता के एक नये युग की ओर बढ़ चुका है।

महिलाओं को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करतें हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल सितम्बर 2013 को पारित कर दिया गया हैं।[6] परंतु यहां यह बात दृष्टव्य हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा बिल 2012 बनाकर उसे लागू कर दिया गया हैं।

देखा गया हैं कि आज के आधुनिक युग में भी कई महिलाएं आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर होने के कारण संकुचित दशा में हैं। विशेषकर निम्न जातियों की स्त्रियां जो अपने बच्चों को दो समय का भोजन दे सके इसके लिए रोजी का कार्य या दूसरो के घरो में झाड़ू–पोछा या बर्तन मांजने व कपड़े धोने का कार्य करती हैं ऐसी दशा में यह जरूरी था कि सरकार के द्वारा महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाए। महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड/आर.एस.बी.वाई–राशन कार्ड होने से अब उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा बिल 2012 के अध्याय–8 महिला सशक्तीकरण (17) (1) में उल्लेखित हैं कि प्रत्येक परिवार जो राशन कार्ड धारक होने की पात्रता रखते हो ऐसे परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला, जो 18 वर्ष की आयु से कम न हो, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जायेगी। परिवार में महिला न होने पर ही कार्ड वरिष्ठ पुरूष सदस्य के नाम पर बन सकेगा।[7]

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर उपलब्ध करायी जाती हैं।[8]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थो की पात्रता

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अंत्योदय परिवार	खाघान्न	35किग्रा. प्रतिमाह	रू. 1 प्रति किग्रा.
		आयोडाइज्ड नमक	2किग्रा. प्रति परिवार	निः शुल्क
		काला चना	2किग्रा. प्रति परिवार	रू. 5.00 प्रति किग्रा.
		दाल	2किग्रा. प्रति परिवार	रू.10.00 प्रति किग्रा.
2	प्राथमिक परिवार	खाघान्न	35किग्रा. प्रतिमाह	रू. 2 प्रति किग्रा.
		आयोडाइज्ड नमक	2किग्रा. प्रति परिवार	निः शुल्क
		काला चना	2किग्रा. प्रति परिवार	रू. 5.00 प्रति किग्रा.
		दाल	2किग्रा. प्रति परिवार	रू. 10 प्रति किग्रा.
3	सामान्य परिवार	खाघान्न	15किग्रा. प्रतिमाह	चावल.रू.10प्रति किग्रा. अन्य खाघान्न हेतू न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से अनधिक[9]

छत्तीसगढ राज्य के गठन के समय प्रदेश में 6501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थी। राज्य गठन के बाद 4532 नई दुकाने स्थापित हुई और राज्य में सितम्बर 2013 की स्थिति में 11033 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। जिसमें से 4177 पंचायत, 4315 सेवा सहकारी समिति, 2372 महिला स्वसहायता समूह 152, वन सुरक्षा समितियां तथा 17 नगरीय निकाय द्वारा संचालित की जा रही हैं।[10] इस आधार पर राज्य स्थापना से लेकर 2013 की स्थिति तक राशन दुकानों की संख्या में 69.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अंत्योदय (गुलाबी कार्ड) के 17,63092, प्राथमिक वर्ग (नीला कार्ड) के 48,26784, सामान्य वर्ग (भूरा कार्ड) के 46,8498 तथा निःशक्तजन (हरा कार्ड) के 9,560 कार्ड हैं तथा कुल 70,67934 राशन कार्ड 2013–14 की स्थिति में हैं।[11] जिन्हें महिलाओं के नाम पर हस्तांतरित करने का कार्य किया जा रहा हैं।

इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को कई अन्य अधिकार जैसे गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता, छात्रावासों व आश्रम में रहने वाली लड़कियों के लिए पोषाहार सहायता भी शामिल हैं।[12]

इस अधिनियम के तहत महिलाओं को परिवार के मुखिया के रुप में स्वीकार करने का प्रावधान रखा गया हैं परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम पर राशन कार्ड बनाए जाने का प्रावधान महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक प्रसव लाभ की मांग जो कई वर्षो से विभिन्न महिला संगठनो द्वारा की जा रही थी। उसे भी मान लिया गया हैं और इसके तहत 6 हजार रुपये की किश्तों का प्रावधान रखा गया हैं।[13]

छत्तीसगढ़ इस अधिनियम को बनाने व इसे सबसे पहले लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हैं। इस अधिनियम को लागू कर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम तो उठाया ही हैं साथ ही महिलाओं को उनके अधिकार देकर उन्हें स्थिति में पुरूषों के बराबर उठाया गया हैं। जिससे लिंग–भेद मिटाने में, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में यह एक सकारात्मक कार्य कहा जा सकता हैं। चूंकि पहले कार्ड पुरूषों के नाम पर ही होते थे इसलिए महिलाएं एक तरह से इस हेतु पुरूषो पर आश्रित थी पर अब ऐसा नहीं होगा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां भी समाज में महिलाओं की दशा व उन्नति की दिशा का निर्धारण करती हैं ऐसे में इस अधिनियम के तहत महिलाओं की झोली में कुछ और अधिकार आऐंगे।

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतगर्त छत्तीसगढ़ में अंत्योदय के 17,63092, प्राथमिक वर्ग के 48,26,784, सामान्य 4,68498, निःशक्तजन के 9560 राशन कार्ड (पीडीएस कार्ड) हैं। तथा कुल 70,67,934 राशन कार्ड 2013–2014 की स्थिति में हैं जिन्हें महिलाओं के नाम पर हस्तांतरित करने का कार्य किया जा रहा हैं।[14]

छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार द्वारा पीडीएस स्मार्ट कार्ड (राशन कार्ड) महिलाओं के नाम पर किये गए है, ऐसे मे जब विभिन्न क्षेत्रों की कार्डधारक महिलाओं से इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि यह राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे लाने का यह एक सराहनीय प्रयास हैं। इसके तहत जिन महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड होगा अब वे ही अपने अंगूठे का निशान देकर राशन प्राप्त कर सकेगी।[15]

इस अर्द्धसहभागी अवलोकन में जब कार्ड के स्वामित्व के संबंध में प्रश्न किया गया तो इस संदर्भ में लगभग सभी महिलाओं का कहना था कि जब घर हम सम्भालते हैं, खाना हम बनाते हैं, कई बार राशन दुकान से सामान हम लाते हैं तो कार्ड तो हमारे नाम पर होना ही चाहिए। वैसे भी ऐसे पुरूष जो दारू, सिगरेट पीते हैं वे राशन लेने तो जाते थे पर उसे घर लाने के बजाए बेचकर उन पैसो से शराब पी लेते थे ऐसे में उन्हें बच्चों की भी फिक्र नहीं होती थी कि वे भूखें होंगे। महिलाओं का यह भी कहा गया कि आज तक घर में हर चीज पुरूषों के नाम पर रहती थी पर अब पीडीएस स्मार्ट कार्ड हमारे नाम होने से सबको अच्छा लग रहा हैं कि हमारे नाम पर कुछ तो हैं।इस अधिनियम से महिलाओं में ये विश्वास भी आया कि सरकार हमारे साथ हैं और हमें

अब स्वयं आगे बढ़कर अपना हक लेना हैं। आत्मनिर्भर होना हैं।[16]

पुरूषों का इस संबंध मे कहना हैं कि महिलाएं घर पर ही रहती हैं और अधिकांशतः वे ही राशन लेने जाती हैं ऐसे में इस कार्ड के महिलाओं के नाम पर होने से वे और अधिक आत्मनिर्भर होगी जब वे घर से इस कार्य के लिए बाहर जाएगी तो उनमें और अधिक आत्मनिर्भरता आएगी।[17] इस संदर्भ में कई संकुचित मानसिकता वाले पुरूषों का कहना था कि नही महिलाओं का राशन लेने जाना ठीक नहीं हैं उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा वे कैसे यह कार्य करेगी? घर कौन संभालेगा?[18] परंतु अधिकांश महिलाओं व पुरूषो का इस संदर्भ में मत सकारात्मक रहा।

सभी सकारात्मक उत्तरों के साथ ही महिलाओं को इस नयी व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे – अब तक कई महिलाओं के नाम पर पीडीएस कार्ड स्थानांतरित नही हुए हैं। राशन की वस्तुओं में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा हैं। गेहूं खराब मिलता हैं।[19] कुछ महिलाओं का कहना हैं कि पीडीएस सिस्टम में राशन प्राप्त करने हेतु अंगूठे का निशान देना होता हैं लेकिन कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित समस्या होने के कारण जल्दी राशन नहीं मिल पाता जिसके कारण कई बार राशन दुकान के चक्कर लगाना पडता हैं। इसके साथ ही कभी–कभी बिजली से संबंधित समस्या भी होती हैं[20] चूंकि अधिकतर महिलाएं इनमें श्रमिक वर्ग से संबंधित व कामकाजी होती हैं अतः बार–बार दुकान के चक्कर काटना संभव नहीं होता इसलिए जरूरी हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। इन सभी समस्याओं के बावजूद भी महिलाएं सभी परेशानियों को झेलते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में सतत् अग्रसर और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध हैं। इन समस्याओं के होते हुए भी वे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड किए जाने से काफी खुश हैं कि सरकार द्वारा उन्हें कुछ और अधिकार दिए गए।

निष्कर्ष

इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार के महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड किए जाने के संदर्भ में कहा जा सकता हैं कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी अब वे अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक होगी तथा अब तक कई ऐसी महिलाएं जो मात्र घर की वस्तु बनकर रह गई थी जब इस राशनिंग व्यवस्था के तहत घर से बाहर निकलेगी तो अन्य महिलाओं को देखकर वे अपने अधिकारों, दायित्वों को पाने के लिए प्रेरित होंगी और चार दीवारी को लांघ कर वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदम बढाएंगी। अब महिलाओं के नाम पर पीडीएस स्मार्ट कार्ड होने से अनाज महिलाओं को ही मिलेगा इससे एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि अब वे पुरूष जो अपने नशे के खर्चे के लिए पत्नी व बच्चों की चिंता न करते हुए इस अनाज को बेचकर पैसा नशे की वस्तुओं में खर्च कर देते थे उससे अब महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। साथ ही जो पुरूष कमाते नहीं थें और अपनी पत्नी व बच्चों को पाल नहीं सकते थे या आर्थिक, शारीरिक रूप से अक्षम थे, ऐसे परिवार की महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित होंगी। कुपोषण की समस्या भी जो बच्चो व महिलाओं में मुख्यतः पायी जाती हैं उससे भी निजात मिलेगी। इस योजना से संबन्धित, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना अत्यंत आवश्यक हैं जैसे इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, बिजली नहीं होने की समस्या जिसके कारण महिलाओं का अत्यधिक समय नष्ट हो जाता हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी यह योजना सरकार की एक सराहनीय पहल व अन्य राज्यों के लिए आदर्श स्वरूप हैं। योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने, उन्हें घर से बाहर निकल कर अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत करने तथा उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया हैं। फिर भी लिंग विभेद को समाप्त करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और लैंगिग न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण विश्व को एक लम्बी यात्रा तय करनी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुरूक्षेत्र, (मासिक पत्रिका), मार्च 2007, वर्ष 52, अंक–05, सूचना भवन, सी. जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली, पृ.–4
2. वर्मा, हरिशचन्द्र, मध्यकालीन भारत, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली वि.वि., 2003, पृ.–183
3. www.fao.org
4. उपरोक्त
5. योजना, (मासिक पत्रिका), दिसम्बर 2013, विशेषांक, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली, पृ.–05
6. कुरूक्षेत्र, (मासिक पत्रिका), पूर्वोक्त, पृ.–02
7. छत्तीसगढ़ राजपत्र, (दिनांक–18जनवरी 2013), विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, 2013, पृ.–36 (10–11)
8. आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14,छत्तीसगढ शासन, आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर, 2014, पृ.–17
9. छत्तीसगढ़ राजपत्र, पूर्वोक्त, पृ.–36 (16)
10. आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14,पूर्वोक्त, पृ.–18
11. उपरोक्त, पृ.–23
12. छत्तीसगढ़ राजपत्र, पूर्वोक्त, पृ.–36 (6)
13. कुरुक्षेत्र, पूर्वोक्त, पृ.–5
14. आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14, पूर्वोक्त, पृ.–23
15. साक्षात्कार, अंजनी देवांगन, महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, गुढ़ियारी, रायपुर, 17/11/2013
16. साक्षात्कार, सुरूज बाई, मधु जंघेल, देवकी मांझी, महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, गुढ़ियारी, रायपुर, 17/11/2013
17. साक्षात्कार, छोटू यादव, संदीप निषाद, राकेश, परसराम साहू, महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, गुढ़ियारी, रायपुर, 18/11/2013
18. साक्षात्कार, अंतराम महानंद, पन्ना लाल, मां योगेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, शंकर नगर, रायपुर, 19/11/2013
19. साक्षात्कार, अंजली राय, वार्ड–55, टिकरापारा, रायपुर, 19/11/2013
20. साक्षात्कार, प्रेमलता तिवारी, वार्ड–55, टिकरापारा, रायपुर, 20/11/2013